संख्या-27/2020/762/12-5-2020/सा0-01/2019

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ:दिनांक 19 जून, 2020**

विषयः प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि (पी0एम0-किसान) योजना के अन्तर्गत 5 प्रतिशत लाभार्थी कृषकों का भौतिक सत्यापन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-43/2019/1167/12-5-2019/सा0-01/2019, दिनांक 26.09.2019 के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्र संख्या-1-1/2019-FWS दिनांक 28.08.2019 द्वारा प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत लाभार्थी कृषकों में से 5 प्रतिशत लाभार्थी कृषकों का भौतिक सत्यापन करते हुए सत्यापन रिपोर्ट भारत सरकार को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- 5 प्रतिशत लाभार्थी कृषकों मे से 2.5 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा चयनित लाभार्थी कृषकों से एवं 2.5 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा चयनित लाभार्थी कृषकों से किया जाना है। भारत सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा लाभार्थी कृषकों के चयन हेतु ग्रामों की सूची जनपदों को उपलब्ध करायी जा चुकी है। इन चयनित ग्रामों के सभी लाभार्थी कृषकों, जो 31 मई, 2020 तक योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त कर चुके है, से पूछ-ताछ के आधार पर भौतिक सत्यापन किया जाना है। भौतिक सत्यापन हेतु प्रयुक्त होने वाले रूपपत्र संलग्नक-1 पर संलग्न हैं।

3- प्रत्येक चयनित ग्रामों के सम्पूर्ण लाभार्थी कृषकों का भौतिक सत्यापन किया जाना अनिवार्य है।

4- भौतिक सत्यापन केवल उन लाभार्थी कृषकों का किया जाना है, जिन्हें योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त हो चुका है न कि अन्य कृषकों के संबंध में जिनका चयन, योजनान्तर्गत लाभार्थी के रूप में किया गया है, परन्तु उन्हें अभी तक किन्हीं कारणवश लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।

5- चयनित ग्रामों में राजस्व विभाग व कृषि/विकास विभाग के कर्मचारियों की संयुक्त टीम द्वारा लाभार्थी कृषकों का भौतिक सत्यापन उप कृषि निदेशक कार्यालय से प्राप्त कृषकों की सूची के आधार पर किया जायेगा। भौतिक सत्यापन के लिए उपलब्ध कृषकों अथवा उनके पति/पत्नी के हस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे। भौतिक सत्यापन, निर्धारित प्रारूप संलग्नक-1 पर किया जायेगा। ग्राम का सत्यापन पूर्ण होने पर निम्न प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत कराना होगा:-

सत्यापन प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम ....., ब्लाक....., तहसील....., जनपद..... के ..... लाभार्थी कृषकों में से ..... लाभार्थी कृषकों का, जिन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत कम से कम एक किस्त प्राप्त हुई है, का भौतिक सत्यापन उपलब्ध कराये गये लाभार्थी कृषकों की सूची के अनुसार पूर्ण कर लिया गया है।

.....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- भौतिक सत्यापन का कार्य 01 जुलाई, 2020 से प्रारम्भ कर 15 अगस्त, 2020 तक पूर्ण किया जायेगा। जिले के नोडल अधिकारी द्वारा जनपद की संकलित सत्यापन रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप संलग्नक-2 पर राज्य नोडल अधिकारी कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को प्रत्येक सप्ताह के सोमवार को उपलब्ध करायी जायेगी।

7- उक्त सर्वेक्षण में आने वाले व्यय को योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये जा रहे प्रशासनिक मद की धनराशि से वहन किया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया एवं सत्यापन का कार्य कराकर जनपद की सत्यापन रिपोर्ट राज्य नोडल अधिकारी को समयान्तर्गत उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

डा0 देवेश चतुर्वेदी

प्रमुख सचिव।

संख्या-27/2020/762(1)/12-5-2020/सा0-01/2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को पत्र संख्या-1-1/ 2019-FWS दिनांक 28.08.2019 के संदर्भ में।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री, उ0प्र0 शासन।
9. कृषि निदेशक, कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
10. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

बृजराज सिंह यादव

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक–1

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत लाभार्थी कृषकों का भौतिक सत्यापन
अनुसूची

ग्राम :----------

जनपद :----------, तहसील :---------- विकासखण्ड :----------

1. लाभार्थी कृषक का नाम :----------
2. लाभार्थी कृषक के पिता का नाम :----------
3. लाभार्थी कृषक का स्थायी/अस्थायी पता :----------
4. लाभार्थी कृषक की श्रेणी– सामान्य/अनु0जाति/अनु0जनजाति
5. लाभार्थी कृषक– पुरूष/महिला
6. लाभार्थी कृषक परिवार की कुल जोत (हे0 में) :----------
   (परिवार के सभी सदस्यों की जोतों का योग)
7. PM-KISAN में पंजीकरण संख्या व दिनॉक :----------
8. लाभार्थी का आधार नम्बर –
9. लाभार्थी कृषको PM-KISAN के अन्तर्गत प्राप्त किस्त–

   प्रथम किस्त– हाँ / नहीं द्वितीय किस्त– हाँ / नहीं तृतीय किस्त– हाँ / नहीं

   चतुर्थ किस्त– हाँ / नहीं पंचम किस्त– हाँ / नहीं
10. लाभार्थी कृषक का खाता जिसमें धनराशि प्राप्त हुयी है–
11. लाभार्थी कृषक अथवा परिवार का कोई सदस्य क्या इन श्रेणियों में आता है :–

    (क) भूतपूर्व एवं वर्तमान में संवैधानिक पदधारक– हाँ / नहीं
    (ऐसा पद जो संविधान के अन्तर्गत परिभाषित है)

    (ख) भूतपूर्व/वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री/सदस्य लोकसभा/राज्य सभा/ हाँ / नहीं
    राज्य विधान परिषद/भूतपूर्व अथवा वर्तमान नगर महापालिका मेयर/
    ग्राम प्रधान/भूतपूर्व/वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष

    (ग) केन्द्र व राज्य सरकार के कार्यालय के विभागों के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी, केन्द्र और राज्य सहायतित अर्द्धसरकारी संस्थान तथा राज्य सरकार से सम्बद्ध समस्त कार्यालय व स्वायत्तशासी संस्थान तथा स्थानीय निकायों के नियमित कार्मिक (चतुर्थ श्रेणी/समूह 'घ' के कार्मिकों को छोड़कर) हाँ / नहीं

    (घ) आयकर दाता– हाँ / नहीं

    (च) सेवानिवृत्त पेंशन धारक जिसकी पेंशन रू0 10 हजार या उससे अधिक है (चतुर्थ श्रेणी/समूह 'घ' के कार्मिकों को छोड़कर) हाँ / नहीं

    (छ) पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट व आर्किटैक्ट आदि जो पेशेवर पेशे के लिए पंजीकरण करने वाले संस्था में पंजीकृत हैं और अपना पेशा कर रहें हैं। हाँ / नहीं

    (ज) लाभार्थी परिवार की जोत किसी संस्था से सम्बन्धित है– हाँ / नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सूचना लाभार्थी कृषक अथवा उसके परिवार के अन्य सदस्य, पति अथवा पत्नी से पूछताछ के आधार पर भरी गयी है। आवश्यक अभिलेखों की मूल प्रति का मेरे द्वारा परीक्षण कर लिया गया है।

हस्ताक्षर/अँगूठा निशान **टीम लीडर के हस्ताक्षर**

लाभार्थी कृषक/परिवार के
अन्य सदस्य पति/पत्नी (नाम/पदनाम)

नोटः– योजनान्तर्गत परिवार का तात्पर्य पति, पत्नी एवं उनके नाबलिक बच्चों से है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक–2

प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजनान्तर्गत 5 प्रतिशत चयनित लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन की प्रगति विवरण।

जनपद– भौतिक सत्यापन के प्रगति विवरण प्रेषित किये जाने की तिथि–

31 मई, 2020 तक कुल लाभार्थी जिन्हें प्रथम किस्त प्राप्त हो गया है–

5 प्रतिशत लाभार्थी कृषकों की संख्या–

केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त 2.5 प्रतिशत लाभार्थी कृषकों की संख्या–

राज्य सरकार द्वारा चयनित 2.5 प्रतिशत लाभार्थी कृषकों की संख्या–

भारत सरकार द्वारा चयनित –

क्र0स0	भौतिक सत्यापन के लक्ष्य	भौतिक सत्यापन हेतु चयनित ग्रामों की संख्या	दिनॉक..... तक लाभार्थी की संख्या जिनका भौतिक सत्यापन पूर्ण कर लिया गया है	दिनॉक..... तक लाभार्थी कृषकों की संचयी संख्या जिसका भौतिक सत्यापन पूर्ण कर लिया गया है	ग्रामों की संख्या जिनका भौतिक सत्यापन पूर्ण कर लिया गया है	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7

राज्य सरकार द्वारा चयनित –

क्र0स0	भौतिक सत्यापन के लक्ष्य	भौतिक सत्यापन हेतु चयनित ग्रामों की संख्या	दिनॉक..... तक लाभार्थी की संख्या जिनका भौतिक सत्यापन पूर्ण कर लिया गया है	दिनॉक..... तक लाभार्थी कृषकों की संचयी संख्या जिसका भौतिक सत्यापन पूर्ण कर लिया गया है	ग्रामों की संख्या जिनका भौतिक सत्यापन पूर्ण कर लिया गया है	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।